

## उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

फाइल नं. क्रमांक -4712--/

बिलासपुर, दिनांक 10/03/2025

चार-12-8/2000 (DA)

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर  
अटल नगर (छ0ग0) के परिपत्र क्रमांक 180/एफ-2013-04-00416  
वित्त/नियम/चार, दिनांक 05.03.2025 (वित्त निर्देश 08/2025) की छायाप्रति ;

1. निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर (छ0ग0),  
प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) दुर्ग / रायपुर / बिलासपुर  
/ रायगढ़ / अम्बिकापुर / कोरबा / मनेन्द्रगढ़ / जाँजगीर-चाँपा  
/ राजनांदगांव/जगदलपुर / धमतरी/महासमुंद / कबीरधाम (कवर्धा)/उत्तर  
बस्तर कांकेर / जशपुर / बेमेतरा / बलौदा बाजार / सूरजपुर/  
कोण्डागांव/बालोद / दंतेवाड़ा / मुंगेली (छ0ग0),
2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव / दुर्ग / रायपुर /  
बिलासपुर / रायगढ़ / बस्तर (जगदलपुर) / दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा /  
सरगुजा (अम्बिकापुर) / जशपुर / कबीरधाम (कवर्धा) / कोरबा / धमतरी  
/ जाँजगीर-चाँपा / कोरिया (बैकुण्ठपुर) / महासमुंद / उत्तर बस्तर  
(कांकेर) / बलौदा बाजार / बालोद / सूरजपुर / बेमेतरा / कोण्डागांव/  
मुंगेली / बलरामपुर स्थान रामानुजगाँज (छ0ग0),
3. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), राजनांदगांव / दुर्ग / रायपुर / बिलासपुर  
/ सरगुजा (अम्बिकापुर)/बस्तर (जगदलपुर)/ कोरबा/ रायगढ़/  
जाँजगीर-चाँपा/कोरिया (बैकुण्ठपुर) (छ0ग0),
4. न्यायाधीश, कॉमर्शियल कोर्ट (जिला स्तर), द्वितीय तल, योजना भवन,  
सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0),
5. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर (छ0ग0),
6. सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, बिलासपुर, (छ0ग0),
7. बजट अधिकारी, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ0ग0),
8. लेखाधिकारी, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ0ग0),
9. अनुभाग अधिकारी (वेतन/पेंशन), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ0ग0),

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :

1. एन0आई0सी0 इंचार्ज, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर उच्च  
न्यायालय की वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

संदर्भ :- उपरोक्तानुसार

3.10.3.25  
(आर0पी0 देवांगन)  
बजट अधिकारी

वित्त निर्देश 08 / 2025

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्र. 80/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार,  
प्रति.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 05/03/2025

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागायुक्त  
समस्त कलेक्टर  
छत्तीसगढ़

विषय:- राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान-2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान-2009 में दिनांक 1 मार्च, 2025 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित करें।

---0---

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 786/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार, दिनांक 17.10.2024 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को दिनांक 1 अक्टूबर, 2024 से सातवें वेतनमान में 50% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 239% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।  
2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता दिया जाये:-

वेतनमान	अवधि जब से देय	महंगाई भत्ते में वृद्धि	वृद्धि उपरान्त महंगाई भत्ते की दर
सातवां वेतनमान	दिनांक 1 मार्च, 2025	3%	53%
छठवां वेतनमान	दिनांक 1 मार्च, 2025	7%	246%

राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-

1. उपरोक्तानुसार निर्धारित महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान माह मार्च, 2025 के वेतन, जो अप्रैल में देय होगा, से किया जाएगा।
2. महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
4. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
5. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।
6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(डॉ. ए.के. सिंह)  
अपर सचिव

5/3/2025

S.D. (x/05)  
12/25  
6-3-25

// 2 //

पु.क्र.।डि। / एफ 2013-04-00416 / वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06/03/2025  
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/नडाधिकार/उपनडाधिकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग, लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
9. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19 नवा रायपुर अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/विशेष कम करस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
15. संचालक, कोष एवं लेखा/पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, इन्द्रावती कोषालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
19. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नवा रायपुर अटल नगर
22. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
23. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
24. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट -finance.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु

- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

(राजीव कुमार झाडे)  
अवर सचिव

06/03/20